31–12–2011

प्रेस विज्ञप्ति

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में 03 जिलों में 05 एफआईआर दर्ज

आबकारी विभाग के प्रवर्तन दलों द्वारा कई जिलों में देशी और विदेशी शराब पकड़ी गयी

राजनैतिक पार्टियों/सम्भावित प्रत्याशियों की रैलियों की वीडियोग्राफी कराने के कड़े निर्देश

आगामी सामान्य निर्वाचन 2012 के सन्दर्भ में गठित आबकारी विभाग की टीमों द्वारा प्रदेश के पॉच जिलों बस्ती, चन्दौली, बागपत तथा बिजनौर में कच्ची और विदेशी शराब, रेक्टिफाइड स्प्रिट तथा महुआ आदि बरामद किये गये हैं। उक्त जानकारी देते हुये प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया कि बस्ती जिले में दो ड्रमों में 40 लीटर अल्कोहल, चन्दौली में 115 लीटर कच्ची शराब और 40 कुन्तल महुआ, बागपत में हरियाणा से लाई जा रही 58 पेटी विदेशी मदिरा के अलावा चरस, नकली होलोग्राम, मिलावटी शराब और यूरिया आदि बरामद की गयी है। बिजनौर में विदेशी मदिरा की बोतलें जो हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश में लायी जा रही थी, पकड़ी गयी हैं। बदायूँ में भी 43 लीटर से अधिक विदेशी मदिरा बरामद की गयी है जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश लायी जा रही थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्यवाही की जा रही है। मेरठ के नौचन्दी तथा कोतवाली थाने में एक–एक तथा वाराणसी के भेलपुर थाने में दो तथा शाहजहॉपुर जिले में एक एफआईआर विभिन्न धाराओं में अंकित करायी गयी है।

श्री सिन्हा ने बताया कि राजनैतिक पार्टियों तथा सम्भावित प्रत्याशियों द्वारा की जा रही सार्वजनिक बैठकों तथा रैलियों की वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं।